

29/3/23 फसवली पैरा हुई। वादी एवं  
वादी वकील अनुपस्थित। - पापालप द्वारा  
बार-बार आदेशों किये जाने के बावजूद  
वादी द्वारा प्रतिवादी डाक की तामील नहीं करवाई  
गयी। अतः मूल पद 0-9, R-2/09, R-5 में  
से खरीज किया जाता है। फसवली नम्बर से  
रुम ही बाद पूर्ण दाखिल दफ्तर है।

  
सहायक जज  
बहसु (अलग) पद